

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगरद्वारा रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कोसी राजि के अन्तर्गत अपर कोसी ब्लाक, में पेयजल योजना के निर्माण से हम ग्राम वासीयों को कोई आपत्ति नहीं है। पेयजल योजना के निर्माण से ढिकुली ग्राम सभा के वासियों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा।

अभिज्ञान अधिकारी
निर्माण प्रयोजन एजेंसी पेयजल निगम
रामनगर (नैनीताल)

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत
वि० ख० रामनगर

पूज्य
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ढिकुली
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

परियोजना का नाम— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम— ढिकुली।

तहसील— रामनगर, जिला— नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण-पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ढिकुली ग्राम सभा में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर द्वारा प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु (0.075 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.075 है० वन भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढिकुली द्वारा दिनांक 28/08/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरहैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत ढिकुली
ग्राम सभा
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

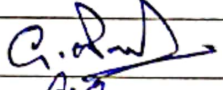
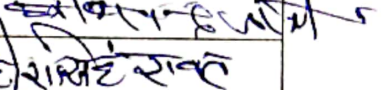
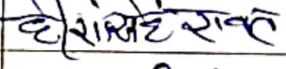
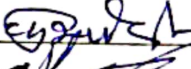
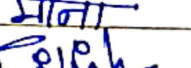
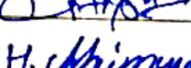
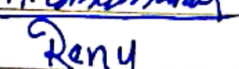
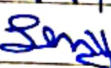
पूज्य
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ढिकुली
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

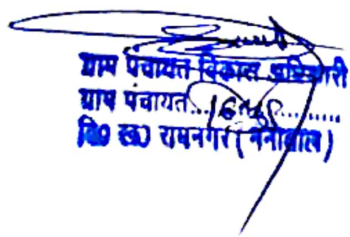
प्रपत्र-23.1

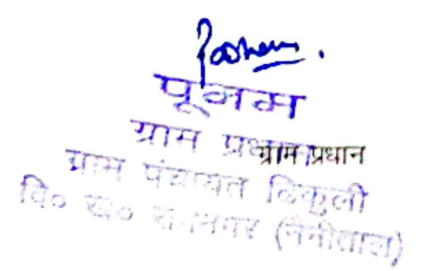
परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 28/08/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :- ढिकुली।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गणेश चंद्र पंत	
2.	फूल चंद्र काठुपंत	
3.	दीशसिंह जोशी	
4.	हरि सिंह रावत	
5.	किशोरी देव	
6.	श्री० गणेश	
7.	मीना	
8.	जीतीष नैमवाल	
9.	हेम चन्द्र हिमवाल	
10.	रेनु जोशी	
11.	सेना	


ग्राम पंचायत ढिकुली
ग्राम पंचायत-16148
वि० सं० रामनगर (निनीवाला)


पूज्य
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ढिकुली
वि० सं० रामनगर (निनीवाला)

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उपजिलाधिकारी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना के निर्माण हेतु (0.075 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.075 है० वन भूमि) का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-रामनगर) की दिनांक 30/12/2021 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री ३०/१२/२०२१ उपजिलाधिकारी, रामनगर एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री ३०/१२/२०२१, उप जिलाधिकारी रामनगर, अध्यक्ष। उपजिलाधिकारी
- 2- श्री श्री ३०/१२/२०२१, उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, सदस्य। उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री श्री ३०/१२/२०२१, सहायक वनाधिकारी, कल्याण अधिकारी, सदस्य। सहायक वनाधिकारी
- 4- श्री श्री ३०/१२/२०२१, बी०डी० क्षेत्र, ढिकुली, सदस्य। बी०डी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी रामनगर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.075 है० वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.075 है० वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रामनगर,
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रामनगर,
नैनीताल।

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.075 है० वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्रभागीय वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

जिलाधिकारी
नैनीताल

T. C. GHILDYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Nll.)

4/1/2022
तहसीलदार रामनगर
जनपद-नैनीताल

उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

परियोजना का नाम— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, उधम सिंह नगर।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना निर्माण हेतु (0.075 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.075 है० वन भूमि) का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 04-11-2022 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री दीपक रावत जिलाधिकारी नैनीताल स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी नैनीताल, अध्यक्ष।
- 2- श्री सन्देश्वर झा, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर, सचिव/सदस्य।
- 3- श्री दीपक रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल, सचिव/सदस्य।
- 4- श्री किशोरी लाल, जिला पंचायत सदस्य रामनगर, सचिव/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.075 है० वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उक्त पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.075 है० वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

11 जिलाधिकारी
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
उधम सिंह नगर।

परियोजना का नाम— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित धिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- Nainital (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dheeraj Garbiyal, deputy commissioner, Nainital on dated04-11-2022.... at time ..3:00PM.. at Nainital in which application claiming rights in 750 Sq. Meter/area measuring 0.075 hectares for the **Construction of Dhikuli Water Supply Scheme** in Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ramnagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Nainital.....

Dated 04-11-2022

उप-जिलाधिकारी
Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee


T. C. GHILDYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Nll.)


T. C. (K)
4/11/2022
तहसीलदार रामनगर
जनपद-नैनीताल


उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित धिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Annexure-II
Form-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital (U.K.)

No.....

Dated 04-11-22

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.075** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Peyjal Sansadhan Evam Vikas Nigam Construction Division Ramnagar (Nainital)** for the **Construction of Dhikuli Water Supply Scheme in Nainital District** falls within jurisdiction of **Dhikuli village(s) in Ramnagar tehsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.075** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure 04.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Dhikuli** village(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.3 and Annexure II.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

विभागाध्यक्ष
नैनीताल
11/11

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)